Rems- 2020/00092

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 25 / 2020 तारीखरजू:- 10.7.2020

उनवानः- रतनलाल बनाम किरोडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
10-7-2020	प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 22.07.2020 को पेश हो। [signature] उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	233-34 10/7/2020
22.7.20	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जबाव पेश करने दिनांक 31.7.20 को पेश हो। [signature]	
31.7.20	वकुलाय उप0। जबाव पेश करने दिनांक 5.8.20 को पेश हो। [signature]	
5.8.20	वकुलाय उप0। जबाव पेश किया। नकल दिलवाई। कोहेत बहस दिनांक 26.8.20 को पेश हो। [signature]	
26.8.20	वकील [illegible] पक्ष उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दावा बाबत तकासमा प्राथमिक डिग्री [illegible] प्रार्थी वकील ने प्रार्थना [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करने का [illegible] किया जिस पर वकील अप्रार्थी ने भी कथन किया कि इस प्रार्थना पत्र के मूल दावा के साथ- उनवानी दावा चीरज [signature]	

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

दिनांक	
	बनाम रतनलाल वगैरा मे शामिल समस्त खसरो की भूमि का तकासमा करने दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील अन्य पक्ष द्वारा सहमति दर्ज कराने पर तथा मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो जानेसे यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जौल स्थित भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.28 है०, 347 रकबा 0.12 है०, 348 रकबा 0.10 है०, 349 रकबा 0.16 है०, 656 रकबा 0.16 है०, 657 रकबा 0.30 है०, 658 रकबा 0.17 है०, 659 रकबा 0.17 है०, 783 रकबा 0.48 है०, 784 रकबा 0.30 है०, 785 रकबा 0.04 है० कुल किता 11 कुल रकबा 2.28 है० मे सायल के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] होकर दावा पत्रावली के साथ [illegible]।
	26/8/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested